-प्रेस नोट-

दिनांक: 16-06-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा कार लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार , कब्जे से लूटी गयी 01 आई.20 कार, 01 कड़ा (पीली धातु) व 01 मोबाईल फोन बरामद

बरामदगी-

- 01 i20 कार व कार की चाबी
- 01 लूटा हुआ मोबाईल फोन
- 01 वादी का शस्त्र लाईसेंन्स
- 03 मोबाईल फोन (घटना में प्रयुक्त)
- 01 कड़ा (पीली धातु का)

अवगत कराना है कि दिनांक 13.06.2024 को वादी श्री किशन लाल उर्फ अजय पुत्र मोहकम सिंह निवासी गांधी कॉलोनी थाना सदर बाजार, सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बावत 03 अज्ञात लड़को द्वारा वादी की कार i20 रजिस्ट्रेशन नं0 (UK 17 V 5129) को रोककर मारपीट व गाली गलौच करते हुए लूट कर ले जाने के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0- 236 /2024 धारा 394 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, लूट की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सतेन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 05 अभियुक्तगण 1.मोहित पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी ग्राम बैंगनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 2. आरजू उर्फ डोली पुत्री सतीश निवासी ग्राम मढ थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 3.नीलू पुत्री सतीश निवासी ग्राम मढ थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 4.इरफान पुत्र याकूब निवासी हसनपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 5.कार्तिक पुत्र अनिल निवासी पीर माजरा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर **को रेलवे स्टेशन रविदास मंदिर** के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से **01 i20 कार व 01 मोबाईल फोन, कार की चाबी, वादी का शस्त्र लाईसेंस, घटना में प्रयुक्त 03 मोबाईल फोन** बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/120 बी भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त मोहित ने बताया कि हमारी महिला साथी आरजू व नीलू ने मुझे जानकारी दी कि हमारे दोस्त अजय के पास 01 कार,01 हाथ मे सोने का कड़ा व कुछ रुपये भी हैं। तभी मोहित ने अपने तीन अन्य साथी हिमांशु,कार्तिक व इरफान के साथ मिलकर अजय से लूटपाट करने की योजना बनायी। इसी योजना के तहत हमारी महिला साथी नीलू व आरजू दिनांक 12/13.06.2024 की रात्रि मेंअपने साथ अजय को अपने गाँव मढ बेहट रोड पर ले कर आ गयी। जैसे ही अजय गाँव से पहले सुनसान रास्ते पर पहुँचा तो हमने जबरदस्ती कार रुकवाकर उसके साथ मारपीट कर उसकी कार, कड़ा , मोबाईल फोन व पर्स उससे लूट लिया। पर्स में जो रुपये थे वो हमने खर्च कर दिए। कल जब हम लूट का माल बेचने जा रहे थे तो पुलिस टीम द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. मोहित पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी ग्राम बैंगनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. आरजू उर्फ डोली पुत्री सतीश निवासी ग्राम मढ थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. नीलू पुत्री सतीश निवासी ग्राम मढ थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4. इरफान पुत्र याकूब निवासी हसनपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
5. कार्तिक पुत्र अनिल निवासी पीर माजरा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 i20 कार व कार की चाबी
- 01 वादी का मोबाईल फोन
- 01 वादी का शस्त्र लाईसेंस
- 01 कड़ा (पीली धातु का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह कोतवाली देहात सहारनपुर
2. उ0नि0 दीपचन्द यादव कोतवाली देहात सहारनपुर
3. उ0नि0 संजय शन्मा थाना कोतवाल देहात सहारनपुर
4. म0उ0नि0 अन्नू परिहार थाना कोतवाल देहात सहारनपुर
5. म0का0 1045 आँचल थाना कोतवाल देहात सहारनपुर
6. एचसी 843 विवेक कुमार थाना कोतवाल देहात सहारनपुर
7. एचसी 839 कपिल कुमार थाना कोतवाल देहात सहारनपुर
8. एचसी 394 राजकुमार थाना कोतवाल देहात सहारनपुर
9. का0 1551 अमित कुमार थाना कोतवाल देहात सहारनपुर
10. का0 2509 रविन्द्र कुमार थाना कोतवाल देहात सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 16.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 16.06.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर **अभियुक्त अजाद पुत्र स्व जरीफ निवासी रामपुर चुंगी थाना गंगनहर रूडकी हरिद्वार** को बडंकला फ्लाई ओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **06 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का** बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त आजाद उपरोक्त के विरूद्ध थाना फतेहपुर पर **मु0अ0सं0 119/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आजाद पुत्र स्व जरीफ निवासी रामपुर चुंगी थाना गंगनहर रूडकी हरिद्वार

बरामदगी का विवरण

06 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा मार्का हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 सौरभ यादव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 16.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के अपहरण मे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 20.05.24 को वादी ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त **अभिषेक पुत्र प्रेमचन्द नि0 ग्राम सालियर थाना तितरो सहारनपुर** द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारन पर **मु0अ0सं0 152/24 धारा 363 भादंवि** पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अपहृता की बरामदगी एवं अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये , इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 16.06.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित **अभियुक्त अभिषेक पुत्र प्रेमचन्द नि0 ग्राम सालियर थाना तितरो सहारनपुर को** नानौता चुंगी कस्बा रामपुर मनिहारान से गिरफ्तार किया तथा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। अभियोग में पीड़िता के धारा 161 सीआरपीसी बयान के आधार **धारा 366 भादंवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम** की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अभिषेक पुत्र प्रेमसिंह निवासी सालियर थाना तितरो जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उप नि0 श्री विपिन कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2- है0का0 1111 प्रवेन्द्र कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर

दिनांकः 16.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की अंगुठी(पीली धातु) को बेचकर मिले रूपयों में से कुल 6060/- रूपये एंव 01 तमंचा/01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 09.06.24 वादी नीरज कुमार जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन निवासी मौहल्ला शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता सहारनपुर ने उपस्थित थाना आकर वादी की ज्वलैर्स शाप कस्बा नानौता पर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोने की अंगूठी खरीदने के बहाने दुकान पर आकर नकली अंगूठी दुकान पर छोडकर असली सोने की अंगूठी धोखे से ले जाने के सम्बन्ध मे थाना नानौता पर **मु0अ0स0 132/24 धारा 420/380 भादवि** पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये , इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा ज्वैलर्स की दुकान से 01 अंगुठी (पीली धातु) चोरी करने वाले शातिर चोर **अंकुर पुत्र आनन्द प्रकाश निवासी ग्राम बादशाहपुर पिन्जौरा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को रुहाडा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की गयी 01 अंगुठी (पीली धातु) को बेचकर प्राप्त किये गये 6060/- रुपये व 01 तमन्चा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी तथा थाना नानौता पर **मु0अ0स0 138/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजिकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अंकुर उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अंकुर उपरोक्त ने बताया कि मै व मेरे 01 अन्य साथी ने दिनांक 09.06.2024 को कस्बा नानौता में सुनार की दुकान पर अंगुठी देखने के बहाने गये थे , जब सुनार हमें अंगुठी दिखा रहा था, तो मेरे साथी ने सुनार को बातों में लगा लिया और मैने बडी सफाई से नकली अंगुठी रखकर , असली अंगुठी चुरा ली थी। पुलिस द्वारा मुझसे जो 6060/- रुपये बरामद किये गये हैं वो मुंझे अंगुठी बेचने के बाद मिले थे,कुछ पैसे मैंने खर्च कर दिये थे। मैं तमंचा रोब गालिब करने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकुर पुत्र आनन्द प्रकाश निवासी ग्राम बादशाहपुर पिन्जौरा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 6060 /- रुपये नगद
- 01 तमन्चा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 177/2024 धारा 147/323 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. मु0अ0स0 430/2023 धारा 147/323/504 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. मु0अ0स0 143/24 धारा 420/380 भादवि थाना नागल सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.थानाध्यक्ष श्री अमित नागर थाना नानौता सहारनपुर
2.उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3.है0का0 250 कविन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4.है0का0 830 राहुल शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर